निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 8(विविध)अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/II/2655 दिनांकः 10 दिसम्बर, 2012

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः सेमीनार, सम्मेलन, कार्यशाला आदि में भाग लेने हेतु अकादमी अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भः इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांकः प. 8(अकादमी अवकाश)अकाद/निकाशि/2002/151 दिनांक 24.01.03, प. 8(अकादमी अवकाश) अकाद/निकाशि/2003/II/481 दि0 15.02.05, 113 दिनांक 07.02.06, 811 दिनांकः 22.07.2010 एवं 749 दिनांकः 19.09.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः प.1(12)वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 01.04.83 एवं प. 1(12)वित्त/ प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 24.06.96 के अनुसार **दिनांक 31 जनवरी के पश्चात् प्रायोगिक परीक्षा, पी0एच0डी0 वाइवा को छोड़कर सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेमीनार, सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशाला आदि में भाग लेने पर प्रतिबन्ध है।** इन सबके पश्चात् भी प्रायः यह देखने में आया है कि प्राचार्य उक्त निर्देशों को अनदेखा कर दिनांक 31 जनवरी के पश्चात् के आयोजनों में भाग लेने के लिये व्याख्याताओं के आवेदन निदेशालय को अग्रेषित कर देते है।

हालांकि सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी की सूचना काफी समय पहले मिल जाती है, फिर भी प्रकरण देरी से/अन्तिम समय पर अग्रेषित किये जाते है तथा अधिकतर प्रकरणों में बिना उचित कारण कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा की जाती है, जो कदापि उचित नहीं है। प्राचार्यो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर न तो कोई टिप्पणी अंकित की जाती है और न ही यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त व्याख्याता द्वारा कितने अकादमी अवकाश का उपभोग किया जा चुका है एवं उनके खाते में कितने अवकाश शेष है। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(12)वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 01.04.83 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(12)वित्त/प्रकोष्ठ–2/83 दिनांक 13.04.04 के पैरा संख्या 2–सी के अनुसार उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेने (सम्पूर्ण भारत में राज्य में हो या राज्य के बाहर) के लिये जाने से पूर्व निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर की अनुमति लेकर ही प्रस्थान करें।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **निदेशालय के परिपत्र क्रमांकः एफ 8(अकादमी अवकाश) अकाद/आकाशि/07/596 दि0 29.08.07 को विलोपित किया जा चुका है।** अतः आपको निर्देशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि सत्र प्रारम्भ से लेकर 31 जनवरी तक की अवधि के आवेदन ही प्राचार्य की टिप्पणी के साथ अग्रेषित करें। आप द्वारा जो भी आवेदन अग्रेषित हो वह निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र की प्रति संलग्न) में ही आवेदित होना चाहिये तथा उसके साथ कार्यक्रम आयोजक द्वारा भिजवाया गया आमंत्रण पत्र भी संलग्न किया जाना चाहिये।

प्रायः यह देखने में भी आया है कि सम्बद्ध व्याख्याता आवेदन को ही अनुमति मानते हुऐ कार्यक्रम में भाग ले लेते है। अतः अकादमिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर एवं निदेशालय की स्वीकृति उपरान्त ही संबंधित कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। साथ ही अपूर्ण एवं निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र को बिना किसी कार्यवाही के पत्रित कर दिया जावेगा। भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में देरी के लिए प्राचार्य/संभागी स्वंय जिम्मेदार होंगे।

संलग्नः निर्धारित प्रपत्र की प्रति

भवदीय,

(नवीन जैन)
निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

कृपया आदेश नेट पर डालें।
Dr. Dhirendra Dev.

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजकीय पूर्वानुमति हेतु प्रार्थना पत्र

विषयः— अखिल भारतीय / राज्य स्तरीय सेमिनार आदि में भाग लेने बाबत ।
संदर्भ— आदेश क्रमांक एफ 1(12)ए.डी.(ग्रुप–2)03 / का उपबन्ध 2(सी)

1 आवेदक का नाम एवं पद :

2 महाविद्यालय का नाम :

3 नियुक्ति तिथि :

4 सम्मेलन / कार्यशाला / सेमीनार का नाम :

5 आयोजक संस्था का नाम व पता :

6 आयोजन का स्थान एवं अवधि :

7 आयोजक संस्था का आमंत्रण पत्र क्रमांक एवं दिनांक (फोटो प्रति) संलग्न करें। :

8 प्रस्तुत किये जाने वाले शोध पत्र का शीर्षक :

9 शोध पत्र महाविद्यालय से आयोजक संस्था को अग्रेषित किये जाने का पत्र क्रमांक एवं दिनांक :

10 विशेष आकस्मिक अवकाश (अधिकतम 15) खाते में बकाया अवकाश दिवसों की स्थिति :

11 मैं प्रमाणित करता हूं कि उक्त शोध पत्र को पूर्व में किसी सम्मेलन/सेमिनार में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न किसी शोध पत्रिका में प्रकाशित कराया गया है

12 मैंने उक्त शोध पत्र संयुक्त रूप से तैयार नहीं किया है / किया है। किन्तु संयुक्त शोधार्थियों ने इस सम्मेलन में पत्र वाचन करने हेतु मुझे अधिकृत किया है (प्रति संलग्न)। :

हस्ताक्षर आवेदक व्याख्याता
विषय ....
राजकीय महाविद्यालय ....

proforma I

प्राचार्य द्वारा अग्रेषण पत्र

क्रमांक

दिनांक

1. आवेदक व्याख्याता द्वारा अंकित तथ्यों की पुष्टि महाविद्यालय में व्याख्याता के अभिलेख से कर ली गई है।
2. सम्मेलन / सेमीनार / कार्यशाला / संगोष्ठी हेतु आवेदित व्याख्याता द्वारा अपना शोध पत्र इस कार्यालय के माध्यम से पत्र क्रमांक.. दिनांक..............के द्वारा अग्रेषित कराया गया है, जिसकी एक प्रति कार्यालय में जमा कर ली गयी है ।
3. महाविद्यालय में आवेदक व्याख्याता सहित सम्बन्धित विषय में कुल.................व्याख्याता कार्यरत है, जिनमें से इस आवेदन सहित (अधिकतम 60 प्रतिशत) .... व्याख्याताओं के आवेदन (पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर) पूर्वानुमति हेतु आयुक्तालय को अग्रेषित किये गये हैं ।
4. श्री / श्रीमती .... के खाते में .... विशेष आकस्मिक अवकाश बकाया हैं।
5. महाविद्यालय में यूजीसी पी.टी.ए.सी. योजना में रूपये .... की राशि उपलब्ध है ।

हस्ताक्षर प्राचार्य मय सील

proforma 1